DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell
VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
PHONE:- 011-23544794
E-mail:- djbdirector@gmail.com

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **Unst.-156/CM-15** Dated:16.12.2023

To
Shri Neeraj Aggarwal
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:-Vidhan Sabha Un-starred Question No. 156 raised by Hon'ble MLA Sh. Jitender Mahajan for 18.12.2023.

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

Director (Admn.& Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **Unst.-156/CM-15** **Dated:16.12.2023**

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Member (WS.), DJB
5. Director of Revenue, DJB
6. Director (F&A), DJB
7. DD (W), DJB
8. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
9. Office Copy.

Director (Admn.& Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :— दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :— निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

अतारांकित प्रश्न संख्या :— 156
दिंनाक :— 18.12.2023
प्रश्नकर्त्ता का नाम :— श्री जितेन्द्र महाजन, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th>अ.क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>पिछले 4 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड का वित्तीय घाटा कितना है, वर्षवार विवरण दे;</td><td>पिछले 4 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड का वित्तीय घाटा का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—
(करोड़ में)
<table><tr><th>वर्ष</th><th>वित्तीय घाटा</th></tr><tr><td>2019—20</td><td>344.05</td></tr><tr><td>2020—21</td><td>770.87</td></tr><tr><td>2021—22</td><td>1196.22</td></tr><tr><td>2022—23</td><td>854.86 (अनुमानित)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत प्रस्तावित यूजीआर को बनाने की समय—सीमा क्या रखी गयी है;</td><td>प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है. कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य पूरा करने की समयावधि 18 माह है।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>पिछले दिनों दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के बिलों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त भुगतान योजना लाने की घोषणा की गई थी यह योजना कब तक लागू की जाएगी;</td><td>यह नीतिगत विषय है ।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>पिछले 5 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की संख्या तथा दिल्ली जल बोर्ड में की गयी नई भर्तियों की संख्या (स्थायी / अस्थायी) की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;</td><td>पिछले पांच वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड में की गई भर्तीओ की संख्य (स्थाई/अस्थाई) का विवरण निम्न प्रकार है:-
1. स्थाई भर्तियां : 982
2. अस्थाई भर्तियां : 1178
पिछले 5 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की संख्या 5486 है।</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>पानी के मीटर का मानक क्या है, दिल्ली जल बोर्ड के मीटर फेल होने के मानक क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानक तय किए गए है, जानकारी उपलब्ध करवाई जाए; और</td><td>पानी के मीटर का मानक आई: एस: 779:1994/6784/1996 के द्वारा निर्धारित किया गया है। जो पानी के मीटर उपरोक्त मानक को पूर्ण नहीं करते हैं, वे मीटर फेल हो जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा भी यही मानक है।</td></tr>
</table>

च)	दिल्ली में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार की जल संचयन को लेकर क्या योजना प्रस्तावित है?	दिल्ली जल बोर्ड ने छत का वर्षा जल संरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए है:- (क) पर्यावरण और वन और वन्य जीवन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी दिनांक 28.07.2001 की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के बिल्डिंग - उपनियमोंमें 100 वर्गमीटर और उससे अधिक के आकार के भूखंडों के लिए छत का वर्षा जलसंचयन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जलबोर्ड ने अपने टैरिफ नियमों में वर्षा जलसंचयन प्रणालियों को लागू करने और न लागू करने पर पानी के बिलों में छूट और जुर्माने का प्रावधान किया है। हालाँकि यह आवश्यक है कि शहरी स्थानीय निकाय भवन परिसरों में वर्षा जलसंचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। (ख) 100 वर्गमीटर या उससे अधिक के भूखंड क्षेत्र वाले उपभोक्ता ओ को पर्याप्त कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू करने के लिए कुल जल बिल पर 10% की छूट मिलेगी। अपशिष्ट जल पुन र्चक्रणसंयंत्र के लिए आरडब्ल्यूएच प्रणाली को मासिक पानी के बिल पर 5% की छूट दी जाएगी, यदि दोनों प्रणालियाँ स्थापित हो चुकी हैं और कार्यात्मक हैं तो 15% की छूट दी जाएगी। (ग) साथही 100 वर्ग मीटर केभू खंड क्षेत्र वाले दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं द्वारा पर्याप्त और कार्यात्मक वर्षा जल संचयन का प्रावधान न करना और इससे ऊपर के मासिक जल बिलों में जुर्माना लगाया जाता है, जो 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन एवं वन्यजीवन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी दिनांक 28.07.2001 की अधिसूचना के अनुसार । दिल्ली जल बोर्ड ने दिनांक 17.09.2019 के निर्देशात्मक आदेश के तहत 28.07.2001 से पहले निर्मित भवनों के लिए 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। (घ) दिल्ली के नागरिकों को जागरूक करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, विजुअल, कार्यशालाओ, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, पुस्तिकाओं, पैम्फलेट आदि जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वर्षा जल संचयन पर जानकारी प्रसारित करने की एक सतत प्रक्रिया की गई है। (ङ) सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से मांगपक्षप्रबंधन के लिए पीने योग्य पानी के विवेक पूर्ण उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। (च) डीजेबी में एक समर्पित वर्षा जलसंचयन से लहेजोजनता को वर्षा जलसंचयन प्रणाली के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए तकनी की सहायता प्रदान कर रहा है। (छ) दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार आरडब्ल्यूएच प्रणाली के प्रचार, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में से वाप्रदाताओं/ सलाहकारों, विभिन्न एजेंसियों/ ठेकेदारों को सूची बद्ध किया है, जोडीजेबी की वेबसाइट यानी delhijarboard.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। (ज) कुल 11 न. प्रत्येक जिले में एक-एकजल शक्ति केंद्र (जेएसके) खोले गए हैं और सभी कार्यशील हैं। आवश्यकतकनीकी कर्मचारियों, आईईसी सामग्री और संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण के साथ डीजेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में

		जेएस के की स्थापना। (झ) पर्याप्त और कार्यात्मक आरडब्ल्यूएच प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी जाती है :- • प्लॉट का आकार 100 वर्गमीटर से 499.99 वर्गमीटर - आरडब्ल्यूएच संरचना की कुल लागत का 50% या रु. 25,000/- जो भी कम हो। • प्लॉट का आकार 500 वर्ग मीटर या अधिक - आरडब्ल्यूएच संरचना की कुल लागत का 50% या रु. 50,000/- जो भी कम हो।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi